न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 200/2015

अनवान : –

1. किरण देवी पत्नी स्व रघूवीर सिंह जाति रेगर निवासी जसाना तहसील नोहर हाल निवासी पल्लू।
2. सुभाष 3. सपना 4. मनीषा 5. सिकन्दर पुत्रगण रघूवीर सिंह जरिये नाबालिग संरक्षक माता किरण देवी पत्नी स्व रघूवीर सिंह जाति रेगर निवासी जसाना तहसील नोहर हाल निवासी पल्लू।

– वादीगण

बनाम्

1. मिश्रीराम पुत्र नत्थुराम जाति भोपा साकिन ननाउ तहसील नोहर।
2. मैनेजर, हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा रावतसर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

4. सावत्री पत्नी धोकलराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
5. नेतराम पुत्र धोकलराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
6. श्रवण पुत्र धोकलराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
7. लूणाराम पुत्र नत्थुराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–188 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 01/06/2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा नणाऊ तहसील नोहर के खाता संख्या 328/322 के खसरा नम्बर 632 की 1.14 बीघा, ख० नं0 633 की 21.15 बीघा कुल तादादी 23.09 बीघा में से प्रतिवादी संख्या 1 सम्पूर्ण भूमि में से 5 बीघा 17–1/4 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार था व इसी तरह से रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के खाता संख्या 332/320 के ख० नं0 630 की 28.16 बीघा, ख० नं0 633 की 25.00 बीघा, ख० नं० 677 की 1.16 बीघा, कुल तादादी 45.12 बीघा भूमि में से 3 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 मिश्रीलाल पुत्र नत्थुराम जाति रेगर खातेदार काश्तकार था।

रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के खाता संख्या 574/468, 481 के ख० नं० 632 की 0.4300 है०, ख० नं0 633 की 5.5010 है० कुल तादादी 5.9310 है0 में से खाता संख्या 575/474, 488, 677, के ख० नं0 630/3 की 0.8590 है० व ख० नं० 663/3 की 2.5290 है०, ख० नं0 677 की 0.4550 है० कुल 3.8430 है० में से दोनो खातों की सम्पर्ण हिस्से की भूमि 9. 13–1/4 बीघा कृषि भूमि वादीयान के पति रघुवीरसिंह को दिनांक 18.10.2003 को बैयनामा करवा दिया व मौके पर कब्जा दे दिया। तभी से खरीदशुदा कृषि भूमि पूर्व में वादिया के पति एवं वादीया के कब्ज़ा काश्त में है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि वादीयान के पित रूघवीर सिंह ने दिनांक 18.10.2003 को प्रतिवादी संख्या 1 से खरीद की थी तथा रूघवीर सिंह की सड़क दुर्घटना में दिनांक 28.04.2008 को मृत्यु हो गई तथा अब उपरोक्त कृषि भूकि वादियान के पति व वादीगण 2 ता 5 की कब्जा काश्त की भूमि है एवं रूघवीरसिंह फोत हो चुका है इसलिए उनकी जगह उनके वारिसान का विधिक उत्तराधिकारी बनाया गया है। वादीयान के पति व वादीगण के पिता उपरोक्त कृषि भूमि का बैयनामा करवाने के बाद नामान्तरण दर्ज करवाने के लिए बैयनामा राजस्व विभाग के कर्मचारियों को दे दिया गया था परन्तु वादीया ने अपने पाते के फोत के बाद उपरोक्त कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड बनाना चाहा पता चला कि उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है इसलिए दोगण खरीदशुदा कृषि भूमि अपने नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के कारी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन करवा उपरोक्त कृषि भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को मुताबिक बैयनामा उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को विधिवत सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अत एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी, चित्रप्रति रजिस्टर्ड बैयनामा पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है। रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के खाता संख्या 574/468, 481 के ख० नं० 632 की 0.4300 है०, ख० नं0 633 की 5.5010 है० कुल तादादी 5.9310 है0 में से खाता संख्या 575/474, 488, 677, के ख० नं0 630/3 की 0.8590 है० व ख० नं० 663/3 की 2.5290 है०, ख० नं0 677 की 0.4550 है० कुल 3.8430 है० में से दोनो खातों की सम्पर्ण हिस्से की भूमि 9.13–1/4 बीघा कृषि भूमि वादीयान के पति रघुवीरसिंह को दिनांक 18.10.2003 को बैयनामा करवा दिया व मौके पर कब्जा दे दिया। तभी से खरीदशुदा कृषि भूमि पूर्व में वादिया के पति एवं वादीया के कब्ज़ा काश्त में है। उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि वादीयान के पित रूघवीर सिंह ने दिनांक 18.10.2003 को प्रतिवादी संख्या 1 से खरीद की थी तथा रूघवीर सिंह की सड़क दुर्घटना में दिनांक 28.04.2008 को मृत्यु हो गई तथा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अब उपरोक्त कृषि भूकि वादियान के पति व वादीगण 2 ता 5 की कब्जा काश्त की भूमि है एवं रूघवीरसिंह फोत हो चुका है इसलिए उनकी जगह उनके वारिसान का विधिक उत्तराधिकारी बनाया गया है। वादीयान के पति व वादीगण के पिता उपरोक्त कृषि भूमि का बैयनामा करवाने के बाद नामान्तरण दर्ज करवाने के लिए बैयनामा राजस्व विभाग के कर्मचारियों को दे दिया गया था परन्तु वादीया ने अपने पाते के फोत के बाद उपरोक्त कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड बनाना चाहा पता चला कि उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है इसलिए दोगण खरीदशुदा कृषि भूमि अपने नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के कारी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन करवा उपरोक्त कृषि भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी हप्रतिवादी स0 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा नणाऊ तहसील नोहर के खाता संख्या 328/322 के खसरा नम्बर 632 की 1.14 बीघा, ख० नं0 633 की 21.15 बीघा कुल तादादी 23.09 बीघा में से प्रतिवादी संख्या 1 सम्पूर्ण भूमि में से 5 बीघा 17–1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के खाता संख्या 332/320 के ख० नं0 630 की 28.16 बीघा, ख० नं0 633 की 25.00 बीघा, ख० नं० 677 की 1.16 बीघा, कुल तादादी 45.12 बीघा भूमि में से 3 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है। वादीगण का कथन है कि उक्त भूमि दिनांक 18.10.2003 को रघुवीर जो की वादीगण का पति/पिता है के द्वारा खरीद की गई थी रघुवीर का दिनांक 28.04.2008 को देहान्त हो गया एवं मुताबिक बैयनाम रघुवीर के नाम उक्त भूमि दर्ज नही हुई। वादीगण जो की रघुवीर के जायज वारिस है उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत बैयनामा के मुताबिक उक्त भूमि रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के खाता संख्या 574/468, 481 के ख० नं० 632 की 0.4300 है०, ख० नं0 633 की 5.5010 है० कुल तादादी 5.9310 है0 में से खाता संख्या 575/474, 488, 677, के ख० नं0 630/3 की 0.8590 है० व ख० नं० 663/3 की 2.5290 है०, ख० नं0 677 की 0.4550 है० कुल 3.8430 है० में से दोनो खातों की सम्पर्ण हिस्से की भूमि 9.13–1/4 बीघा कृषि भूमि वादीयान के पति रघुवीरसिंह द्वारा दिनांक 18.10.2003 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की गई है एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड के मुताबिक उक्त भूमि वादीया के पति रघुवीर सिंह के नाम दर्ज हुई है। जबकि रघुवीर सिंह के द्वारा उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की गई है। अत मुताबिक बैयनामा वादीगण के नाम भूमि दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के ख० नं0 632 की 0.4300 है०, ख० नं0 633 की 5.5010 है० कुल तादादी 5.9310 हैट में वादीगण को 5 बीघ 17–1/4 बिस्वा भूमि के एवं रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के ख० नं० 630/3 की 0.8590 है०, ख० नं0 633/3 की 2.5290 है०, ख० नं0 677 की 0.4550 है० कुल तादादी 3.8430 है० कृषि भूमि में 3 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं दोनों खातों से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन करवा किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अलमदरामद किया जावे।यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 01/06/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 200/2015

अनवान : –

1. किरण देवी पत्नी स्व रघूवीर सिंह जाति रेगर निवासी जसाना तहसील नोहर हाल निवासी पल्लू।
2. सुभाष 3. सपना 4. मनीषा 5. सिकन्दर पुत्रगण रघूवीर सिंह जरिये नाबालिग संरक्षक माता किरण देवी पत्नी स्व रघूवीर सिंह जाति रेगर निवासी जसाना तहसील नोहर हाल निवासी पल्लू।

– वादीगण

बनाम्

1. मिश्रीराम पुत्र नत्थुराम जाति भोपा साकिन ननाउ तहसील नोहर।
2. मैनेजर, हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा रावतसर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

4. सावत्री पत्नी धोकलराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
5. नेतराम पुत्र धोकलराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
6. श्रवण पुत्र धोकलराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
7. लूणाराम पुत्र नत्थुराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 200 सन 2015 निर्णय दिनांक 01/06/2026

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के ख० नं0 632 की 0.4300 है०, ख० नं0 633 की 5.5010 है० कुल तादादी 5.9310 हैट में वादीगण को 5 बीघ 17–1/4 बिस्वा भूमि के एवं रोही मौजा ननाऊ तहसील नोहर के ख० नं० 630/3 की 0.8590 है०, ख० नं0 633/3 की 2.5290 है०, ख० नं0 677 की 0.4550 है० कुल तादादी 3.8430 है० कृषि भूमि में 3 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं दोनों खातों से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन करवा किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अलमदरामद किया जावे।यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर